

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'छत्तीस'

[ 6/12/2016 ]

प्रश्न सं. [ क. 1607 ]

प्रपत्र 'अ'

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1607,

माननीय विधायक श्री प्रताप सिंह

सदन में चर्चा का दिनांक 06.12.2016

वर्ष 2003 से प्रश्न दिनांक की अवधि में, घरेलू, कृषि एवं गैर घरेलू उपभोक्ताओं से लिए जाने वाले विद्युत भार अर्थात् औसत विद्युत प्रभार प्रति यूनिट, की दर में वृद्धि एवं कमीका विवरण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	निम्नदाब								
	घरेलू			गैर घरेलू			कृषि		
	दर रुपये प्रति यूनिट	वृद्धि	कमी	दर रुपये प्रति यूनिट	वृद्धि	कमी	दर रुपये प्रति यूनिट	वृद्धि	कमी
2002-03	2.90	-	-	6.17	-	-	2.40	-	-
2003-04	2.90	-	-	6.17	-	-	2.40	-	-
2004-05	3.14	0.24	-	5.85	-	0.32	2.18	-	0.22
2005-06	3.09	-	0.05	5.64	-	0.21	2.11	-	0.07
2006-07	3.01	-	0.08	5.86	0.22	-	2.15	0.04	-
2007-08	3.36	0.35	-	5.48	-	0.38	2.35	0.20	-
2008-09	3.35	-	0.01	5.40	-	0.08	2.62	0.27	-
2009-10	3.50	0.15	-	5.35	-	0.05	2.45	-	0.17
2010-11	4.00	0.50	-	5.85	0.50	-	3.11	0.66	-
2011-12	4.26	0.26	-	6.28	0.43	-	3.26	0.15	-
2012-13	4.74	0.48	-	6.67	0.39	-	3.73	0.47	-
2013-14	4.69	-	0.05	6.70	0.03	-	3.59	-	0.14
2014-15	4.87	0.18	-	6.58	-	0.12	3.75	0.16	-
2015-16	5.12	0.25	-	7.20	0.62	-	4.28	0.53	-
2016-17	5.56	0.44	-	7.84	0.64	-	4.74	0.46	-

अनुभाग अधिकारी

म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,  
मंत्रालय, भोपाल

प्रपत्र 'ब'


विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1607,

माननीय विधायक श्री प्रताप सिंह

सदन में चर्चा का दिनांक 06.12.2016

वर्षवार एम पी पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमि. द्वारा अन्य राज्यों को विक्रय की गयी विद्युत की जानकारी

क्र.	वर्ष	ट्रेडर का नाम	फर्मका नाम	राज्य	राजस्व (रुपये करोड में)
1	2008-09	लैंको	महाराष्ट्र.वि.कंपनी	महाराष्ट्र	34.43
			कलकत्ता विपुल प्रदाय कं.	प. बंगाल	18.45
			आंध्रप्रदेश पा.कं.	आंध्रप्रदेश	31.35
			गोवा	गोवा	3.12
			हरियाणा पावर जन. कंपनी	हरियाणा	5.23
		अदानी इंटरप्राइजेज लि.	गुजरात ऊर्जा विकास निगम	गुजरात	138.71
			हरियाणा पावर जन. कंपनी	हरियाणा	52.73
		टाटा पावर कं.	महाराष्ट्र रा.वितरण कंपनी	महाराष्ट्र	8.87
			आंध्रप्रदेश पा.कं.	आंध्रप्रदेश	2.78
		एन.टी.पी.सी. व्ही.व्ही.एन.	तमिलनाडु वि.मं.	तमिलनाडु	4.71
		जे.एस.डब्ल्यू.	पंजाब रा.वि.मं.	पंजाब	32.42
		हरियाणा पावर परचेज कंपनी	हरियाणा पावर जन.कंपनी	हरियाणा	22.65
		<b>योग</b>			
2	2009-10	लैंको	ए.पी.पी.सी.सी./ओ.पी.टी.सी.एल.	आंध्रप्रदेश /उड़ीसा	0.58
		लैंको	एम.एस.ई.बी./टी.पी.सी.	महाराष्ट्र /तमिलनाडु	0.48
		पी.टी.सी.	के.एस.ई.बी.	केरल	0.42
		<b>योग</b>			
3	2010-11	निरंक			
4	2011-12	ए.पी.पी.सी.सी.	ए.पी.पी.सी.सी.	आंध्रप्रदेश	22.44
5	2012-13	निरंक			
6	2013-14	निरंक			
7	2014-15	बि.एस.पी.सी.एल.	बि.एस.पी.सी.एल.	बिहार	1.19
		मित्तल प्रोसेसर्स	यू.पी.पी.सी.एल.	उत्तरप्रदेश	9.01
		<b>योग</b>			
8	2015-16	मणीकरण	ए.पी.पी.सी.सी.	आंध्रप्रदेश	45.07
9	2016-17 (सितम्बर 2016 तक)	निरंक			

  
 अनुभाग अधिकारी  
 म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,  
 मंत्रालय, भोपाल

परिशिष्ट "स"

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1607, माननीय विधायक श्री प्रताप सिंह  
सदन में चर्चा का दिनांक 06.12.2016

कृषि उपयोग हेतु म.प्र.शासन द्वारा आदेश क्रमांक एफ-5-15/2011/तेरह, दिनांक 09.08.2016 से विद्युत दरों में सब्सिडी प्रदान किये जाने का प्रावधान है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- (1) स्थाई संयोजन वाले फ्लेट रेट कृषि उपभोक्ताओं को प्रति हार्स पाँवर प्रति वर्ष मात्र रु. 1400/- की दर से विद्युत बिल का भुगतान करना होगा। बिल के शेष अन्तर की राशि का पूर्ण भार राज्य शासन द्वारा टैरिफ सब्सिडी के रूप में वहन किया जाये।
- (2) एक हेक्टेयर तक की भूमि वाले 05 हार्स पाँवर तक पंप क्षमता के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के समस्त कृषि उपभोक्ताओं को निःशुल्क विद्युत प्रदाय की जायें एवं इसके एवज में राज्य शासन द्वारा वितरण कंपनियों को सब्सिडी प्रदान की जाये।
- (3) मीटर से बिजली प्राप्त कर रहे स्थाई कृषि उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार में निम्नानुसार सब्सिडी दी जाये-


(क)	प्रथम 300 यूनिट तक	- रु. 2.30 प्रति यूनिट
(ख)	301 से 500 यूनिट तक	- रु. 2.70 प्रति यूनिट
(ग)	501 से 750 यूनिट तक	- रु. 2.55 प्रति यूनिट
(घ)	750 यूनिट से अधिक	- रु. 2.85 प्रति यूनिट
- (4) अस्थाई संयोजन वाले मीटर युक्त एवं मीटर रहित कृषि उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार में रु. 1.75 प्रति यूनिट की दर से सब्सिडी दी जाये।
- (5) फ्लेट रेट स्थाई कृषि पम्प उपभोक्ताओं के अलावा स्थाई तथा अस्थाई दोनों श्रेणी के सभी कृषि उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा प्रभार में उल्लेखित सब्सिडी के अतिरिक्त एफसीए (ईंधन लागत समायोजन) तथा फिक्सड चार्ज में पूर्ण छूट प्रदान करते हुए इसका भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जाये तथा इसकी एवज में सब्सिडी दी जाये।
- (6) डी.टी.आर. मीटर से बिजली प्राप्त कर रहे समूह कृषि उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार में रु. 1.60 प्रति यूनिट की सब्सिडी देते हुए ईंधन प्रभार समायोजन (एफसीए) के एवज में सब्सिडी दी जाये।

रबी मौसम में कृषकों को 10 घण्टे विद्युत प्रदाय किये जाने का समय चक्र बनाया गया है। इस बाबत प्रदेश के समस्त जिलों के सिंचाई (कृषि) फीडरों को दो समूहों में विभक्त किया गया है, समूह "अ" एवं समूह "ब"। उक्त समूह "अ" एवं "ब" के फीडरों के विद्युत प्रदाय की समय-सारणी को पाक्षिक रूप से आपस में बदल दिया जाता है।

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के द्वारा जारी विवरण अनुपालन मानदण्ड विनियम के अन्तर्गत जले एवं खराब ट्रांसफार्मरों को बदलने के लिए भी समय-सीमा निर्धारित है।

**बकाया राशि न होने पर जले एवं खराब ट्रांसफार्मरों को बदलने हेतु निर्धारित समयावधि निम्नानुसार है :-**

क्षेत्र	निर्धारित अवधि
संभागीय मुख्यालय पर	12 घण्टे
अन्य शहरी क्षेत्र	24 घण्टे
ग्रामीण क्षेत्र - सूखे मौसम में (अक्टूबर से जून)	72 घण्टे
वर्षा काल (जुलाई से सितम्बर)	07 दिवस

  
अनुभाग अधिकारी  
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग  
प्रबन्धनालय, भोपाल